UPMZ010003152007

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(SRI KANISHK KUMAR SINGH**), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP02676

वाद संख्या–172 / 2007

उ0प्र0 राज्य ... वादी

बनाम

राकेश उपाध्याय पुत्र भोपाल, निवासी–जनकपुरी, थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर।

मुकदमा अपराध संख्या–475 / 2007,
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–सिविल लाईन,जिला–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1– थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त राकेश उपाध्याय के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र पर अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा अजब सिंह अवर अभियन्ता, 33 / 11 के0वी0 विद्युत ग्रह रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा थानाहाजा पर इस आशय की तहरीर दर्ज करायी गयी है कि ''आज दिनांक 03–06–2007 को समय 18:35 बजे के लगभग मैं अजब सिंह अवर अभियन्ता 33 / 11 के0वी0 विद्युत ग्रह रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर मय श्री संजय कुमार पैट्रोलमैन व सदाकत को अपनी साथ लेकर मौहल्ला महमूदनगर विद्युत लाईन निरीक्षण करने गया तो पाया कि अल्लमेहर पुत्र मंगलू, महमूदनगर ने अपने मकान के निकट ए0वी0सी0 तार को छीलकर लगभग 4 मीटर 2 कोर केबिल को जोडकर विद्युत चोरी से 400 वाट भार डारेक्ट चलाता पाया गया, दो कोर केबिल को काटकर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद हम निरीक्षण करते हुए राकेश उपाध्याय पुत्र नामालूम, मौहल्ला जनकपुरी श्री लीलाचन्द पुत्र दाताराम के मकान के सामने राकेश उपाध्याय के परिसर में खम्भे के पास जो कि इसके मकान के निकट है, 2 कोर केबिल लगभग 8 मीटर से विद्युत चोरी से 500 वाट भार डारेक्ट चलाता पाया गया। जिस केबिल से चोरी कर रहा था, उतार कर, अपने कब्जे में लिया, छायाप्रति

Digitally signed by KANISHK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.25 10:59:39 IST
Reason: Judgement
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

तहरीर प्रदर्श क–1 है। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम हुआ और कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3– वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0–475/2007, धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत को अभियुक्त राकेश उपाध्याय के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाकर, छायाप्रति चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रदर्श क–2 किता की गयी।

4– प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त राकेश उपाध्याय के विरुद्ध मु0अ0सं0–475/2007, धारा–135 विद्युत अधिनियम का अपराध पाते हुये आरोप–पत्र प्रदर्श क–5 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– दिनांक 30–10–2014 को अभियुक्त राकेश उपाध्याय न्यायालय में उपस्थित आया तथा न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध धारा–135(1)(ए) विद्युत अधिनियम विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप को सुन व समझकर आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया।

6– अभियोजन द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कराया गया हैः–

1	अजब सिंह	पी0डब्लू0–1
2	सेवानिवृत्त एच0सी0 धर्मपाल सिंह	पी0डब्लू0–2

7– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैः–

क0	**प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**साक्षी**
1	छायाप्रति तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	छायाप्रति चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2
3	जी0डी0 की नष्टीकरण की रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2
4	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–2
5	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–2
6	डोरी	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–1
7	केबिल	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0–1

8– दिनांक 07–03–2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश उपाध्याय के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्त द्वारा स्वयं के विरूद्ध झूठा व गलत फंसाया जाना, गलत बयान देना, गलत मुकदमा चलाया जाना, स्वयं को निर्दोष बताते हुए, सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

9– उक्त के विरूद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कोई भी विश्वसनीय साक्षी इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित होता हो। वास्तव में इस मामले में घटना का कोई भी विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वह पूर्णतया निर्दोष है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त/बरी किया जाये।

10– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा कहा गया है कि अभियोजन द्वारा पी0डब्लू0–1 अजब सिंह को परीक्षित कराकर उक्त मुकदमें की तहरीर की छायाप्रति को प्रदर्श क–1 के रूप में तथा माल मुकदमा डोरी को वस्तु प्रदर्श–1 व केबिल को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया गया है। पी0डब्लू0–2 धर्मपाल सिंह को परीक्षित कराकर उक्त मुकदमें की छायाप्रति चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क–2, मूल जी0डी0 की नष्टीकरण की रिपोर्ट को प्रदर्श क–3, नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–4, आरोप–पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया। उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने अपने बयान से अभियुक्त राकेश उपाध्याय के विरूद्ध अभियोजन कथानक को साबित किया है। अतः अभियुक्त राकेश उपाध्याय को दोषसिद्ध कर, कठोर से कठोर सजा से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन करते हुए कहा है कि साक्षीगण के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाये। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया। अभियोजन के साक्षीगण के बयानों पर दृष्टि डालना उचित है।

11– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं घटना को साबित करने के लिये पी0डब्लू0–1 अजब सिंह ने सशपथ बयान किया है कि दिनांक 03–06–2007 को वह बतौर अवर अभियन्ता के पद पर 33/11 के0वी0 विद्युत गृह रूडकी रोड, मु0नगर पर तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वह, उसके साथ संजय कुमार पैट्रोलमैन व सदाकत लाईनमैन को साथ लेकर मौ0–जनकपुरी, मुजफ्फरनगर में समय करीब 18:50 बजे पर राकेश उपाध्याय पुत्र भोपाल के परिसर पर पहुॅचे तो पाया कि राकेश उपाध्याय द्वारा खम्बे से जो लीलाचंद के मकान के सामने था, से करीब 8 मीटर केबिल, जो 2 कोर का

था, डालकर 500 वाट भार का डायरेक्ट चलाकर बिजली चोरी कर रहा था। मौके से केबिल को उतारकर कब्जे में लिया गया था, जिसको थाना–सिविल लाईन में जमा करा दिया था। उपरोक्त दिनांक को ही मौ0 महमूदनगर में अल्ला मेहर के यहां भी बिजली की चोरी पकडी थी। उपरोक्त दोनों विद्युत चोरी के सम्बन्ध में तहरीर उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में थाना–सिविल लाईन, मु0नगर पर दी थी। गवाह ने सम्बन्धित वाद सं0–114/2007, 'सरकार बनाम अल्ला मेहर' की पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–5क है, जिस पर उसके व चैकिंग टीम के अन्य सदस्य संजय कुमार पैट्रोलमैन व सदाकत लाईनमैन के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस तहरीर की छायाप्रति वह सत्यापित कर पत्रावली पर दाखिल कर रहा है, जिस पर <u>प्रदर्श क–1</u> डाला गया। माल मुकदमा आज उसके समक्ष मौजूद है, जो कि एक केबिल है और प्लास्टिक की सफेद डोरी से बंधा है। इसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही केबिल है, जो उनके द्वारा राकेश उपाध्याय के यहां से बरामद किया गया था। डोरी पर <u>वस्तु प्रदर्श–1</u> व केबिल पर <u>वस्तु प्रदर्श–2</u> डाला गया।

12– <u>पी0डब्लू0</u>–2 सेवानिवृत्त एच0सी0 धर्मपाल सिंह ने सशपथ बयान किया है कि दिनांक 03–06–2007 को वह बतौर कां0 क्लर्क थाना–सिविल लाईन्स, मु0नगर में तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वादी मुकदमा अजब सिंह अवर अभियन्ता द्वारा एक किता लिखित तहरीर के आधार पर उसके द्वारा चिक सं0–316/07 किता करके मु0अ0सं0–474/2007, 475/2007 बनाम अल्लाह मेहर, राकेश उपाध्याय अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम समय 21:10 बजे पर पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा रपट नं0–47 समय 21:10 बजे रोजनामचाआम में किया था। जी0डी0 की कार्बन कॉपी सम्बन्धित वाद सं0–114/2007, सरकार बनाम अल्लाह मेहर' की पत्रावली पर कागज सं0–6क/5 के रूप में उपलब्ध है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूलप्रति सम्बन्धित उपरोक्त वाद की पत्रावली पर कागज सं0–4क/1 के रूप में उपलब्ध है। गवाह ने सम्बन्धित वाद की पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–4क/1 को देखकर कहा ये वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो उसके द्वारा अपने हस्तलेख में किता की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है, जिनकी वह शिनाख्त करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति वह सत्यापित कर, पत्रावली पर दाखिल कर रहा है, जिस पर <u>प्रदर्श क–2</u> डाला गया। मुकदमें की असल जी0डी0 के सम्बन्ध में आज वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मु0नगर के कार्यालय से जारी आख्या (नष्टीकरण) साथ लेकर आया है, जिसके आधार पर वर्ष–2007 की जी0डी0 वीडआउट की जा चुकी है, जिसको वह प्रमाणित कर पत्रावली पर दाखिल कर रहा है। जी0डी0 नष्टीकरण आख्या पर <u>प्रदर्श क–3</u> डाला गया। विवेचक उ0नि0 वी0के0 गौतम की मृत्यु हो चुकी है, जो उसके साथ थाना–सिविल

लाईन पर कार्यरत रहे हैं। उसने उनको लिखते–पढते हुए देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–12क नक्शा–नजरी है, जो विवेचक वी0के0 गौतम के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–3क आरोप–पत्र है, जो विवेचक वी0के0 गौतम के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

13– न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया।

14– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एवं परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 अजब सिंह ने सशपथ बयान किया है कि दिनांक 03–06–2007 को वह बतौर अवर अभियन्ता के पद पर 33/11 के0वी0 विद्युत गृह रूडकी रोड, मु0नगर पर तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वह, उसके साथ संजय कुमार पैट्रोलमैन व सदाकत लाईनमैन को साथ लेकर मौ0–जनकपुरी, मुजफ्फरनगर में समय करीब 18:50 बजे पर राकेश उपाध्याय पुत्र भोपाल के परिसर पर पहुॅचे तो पाया कि राकेश उपाध्याय द्वारा खम्बे से जो लीलाचंद के मकान के सामने था, से करीब 8 मीटर केबिल, जो 2 कोर का था, डालकर 500 वाट भार का डायरेक्ट चलाकर बिजली चोरी कर रहा था। मौके से केबिल को उतारकर कब्जे में लिया गया था, जिसको थाना–सिविल लाईन में जमा करा दिया था। उपरोक्त दिनांक को ही मौ0 महमूदनगर में अल्ला मेहर के यहां भी बिजली की चोरी पकडी थी। उपरोक्त दोनों विद्युत चोरी के सम्बन्ध में तहरीर उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में थाना–सिविल लाईन, मु0नगर पर दी थी। गवाह ने सम्बन्धित वाद सं0–114/2007, 'सरकार बनाम अल्ला मेहर' की पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–5क है, जिस पर उसके व चैकिंग टीम के अन्य सदस्य संजय कुमार पैट्रोलमैन व सदाकत लाईनमैन के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस तहरीर की छायाप्रति को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया। माल मुकदमा डोरी को वस्तु प्रदर्श–1 व केबिल को वस्तु प्रदर्श–2 साबित किया गया।

न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है कि जो माल मुकदमा एक अद्द केबिल न्यायालय में पेश किया गया है, वह किसी पुलिंदे में बंद नहीं था, सिर्फ एक प्लास्टिक की डोरी से बंधा हुआ था व केबिल के ऊपर कहीं किसी प्रकार की कोई पेपर अथवा कपडे की चिट मौजूद नहीं था, ना ही माल मुकदमा के ऊपर कुछ लिखा हुआ था।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उन्होंने उस दिन दो केबिल पकडे थे। अभियुक्त उस समय घर पर नहीं था। इस समय उसे ध्यान नहीं कि घटना की सूचना उसने अभियुक्त की पत्नी को दी थी या नहीं। वह थाने पर दिनांक

03–06–2007 को गया था, एक घंटा रहा था, टाईम याद नहीं। उससे दरोगा जी ने पूछताछ की थी। रिपोर्ट कराने के बाद उसका बयान लिया था, कब लिया था, नहीं बता सकता।

15– पी0डब्लू0–2 धर्मपाल सिंह ने सशपथ बयान किया है कि दिनांक 03–06–2007 को वह बतौर कां0 क्लर्क थाना–सिविल लाईन्स, मु0नगर में तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वादी मुकदमा अजब सिंह अवर अभियन्ता द्वारा एक किता लिखित तहरीर के आधार पर उसके द्वारा चिक सं0–316/07 किता करके मु0अ0सं0–474/2007, 475/2007 बनाम अल्लाह मेहर, राकेश उपाध्याय अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम समय 21:10 बजे पर पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा रपट नं0–47 समय 21:10 बजे रोजनामचाआम में किया था। जी0डी0 की कार्बन कॉपी सम्बन्धित वाद सं0–114/2007, सरकार बनाम अल्लाह मेहर' की पत्रावली पर कागज सं0–6क/5 के रूप में उपलब्ध है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूलप्रति सम्बन्धित उपरोक्त वाद की पत्रावली पर कागज सं0–4क/1 के रूप में उपलब्ध है, जो उसके द्वारा अपने हस्तलेख में किता की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है, जिनकी वह शिनाख्त करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति वह सत्यापित कर, पत्रावली पर दाखिल कर रहा है, जिसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया। मुकदमें की असल जी0डी0 वीडआउट की जा चुकी है। जी0डी0 की नष्टीकरण आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया। विवेचक उ0नि0 वी0के0 गौतम की मृत्यु हो चुकी है, जो उसके साथ थाना–सिविल लाईन पर कार्यरत रहे हैं। उसने उनको लिखते–पढते हुए देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–12क नक्शा–नजरी व कागज सं0–3क आरोप–पत्र विवेचक वी0के0 गौतम के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–4 व आरोप–पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया।

16– उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमें को दर्ज करने से पहले उस दिन उसने पहले कौनसा मुकदमा अथवा कितने मुकदमें दर्ज किये थे, नहीं बता सकता।

17– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था '**शीशपाल उर्फ शीशू बनाम राज्य (एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली)**' एस0सी0 क्रि0अपील नं0–1053/2015 निर्णीय दिनांक 11–07–2022 में कहा गया है कि "It's the duty of prosecution to prove its case beyond reasonable doubt." अतः इस आपराधिक अभियोग में अभियोजन साक्ष्य के युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं किये जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध तय आरोप को साबित नहीं माना जा सकता। अतः प्रस्तुत आपराधिक वाद अभियोजन

साक्ष्य के अभाव के कारण अभियुक्त के विरुद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है।

'Suresh Thipmppa Shetty Vs. State of Maharashtra' [2023 LiveLaw (SC)682] में अवधारित किया गया है कि–

"On a deeper and fundamental level, when this Court is confronted with a situation where it has to ponder whether to lean with the Prosecution of the Defence, in the face of reasonable doubt as to the version put forth by the Prosecution, this Court will, as a matter of course and of choice, in line with judicial discretion, lean in favour of the Defence. We have borne in mind the cardinal principle that life and liberty are not matters to be trifled with, and a conviction can only be sustained in the absence of reasonable doubt. The presumption of innocence in favour of the accused and insistence on the Prosecution to prove its case beyond reasonable doubt are not empty formalities. Rather, their origin is traceable to Articles 21 and 14 of the Constitution of India. Of course, for certain offences, the law seeks to place a reverse onus on the accused to prove his/her innocence, but that does not impact adversely the innocent-tillproven-guilty rule for other criminal offences."

'Babu Vs. State of Kerela' (2010) 9 SCC 189 में अवधारित किया गया है कि–

Every accused is presumed to be innocent unless the guilt is proved. The presumption of innocence is a human right. However, subject to the statutory exceptions, the said principle forms the basis of criminal jurisprudence. For this purpose, the nature of the offence, its seriousness and gravity thereof has to be taken into consideration. The courts must be on guard to see that merely on the application of the presumption, the same may not lead to any injustice or mistaken conviction.

18– अभियुक्त पर बिना किसी वैध कनैक्शन के अन्य उपभोक्ता के केबिल से अपना काले रंग का दो कोर वाला लगभग 2 कोर 8 मीटर केबिल जोडकर अवैध रूप/चोरी से 500 वाट विद्युत का उपभोग करने का आरोप है। उक्त मुकदमें के वादी अजब सिंह अवर अभियन्ता को पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी जिरह में कहा गया है कि अभियुक्त उस समय घर पर नहीं था। इस समय उसे ध्यान नहीं कि घटना की सूचना उसने अभियुक्त की पत्नी को दी थी या नहीं। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत केबिल/माल मुकदमा डोरी को वस्तु

प्रदर्श–1 व केबिल को वस्तु प्रदर्श–2 साबित किया गया, परन्तु उक्त केबिल इस मुकदमें से सम्बन्धित है या नहीं ऐसा कोई की प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त केबिल किसी पुलिंदे में बंद नहीं था, सिर्फ एक प्लास्टिक की डोरी से बंधा हुआ था व केबिल के ऊपर कहीं किसी प्रकार की कोई पेपर अथवा कपडे की चिट मौजूद नहीं था, ना ही माल मुकदमा के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इससे उक्त मुकदमें की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। इस प्रकार माल मुकदमा विधिक रूप से साबित नहीं है और न ही साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त साक्षी, जो कि इस वाद का वादी मुकदमा है, के द्वारा अपने बयान में कहीं भी ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि अभियुक्त द्वारा किस विद्युत उपकरण को चलाकर, 500 वाट विद्युत का उपभोग किया जा रहा था, न ही विद्युत चोरी से सम्बन्धित किसी भी उपकरण को बरामद कर, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। साक्षी पी0डब्लू0–2 धर्मपाल सिंह, जो उक्त मुकदमें का केवल एफ0आई0आर0 लेखक है। उसके द्वारा इस मुकदमें के विवेचक का लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की गयी है तथा कुछ अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस साक्षी को उक्त मुकदमें के तथ्यों/विवेचना के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार यह साक्षी उक्त मुकदमें का केवल एक औपचारिक साक्षी है। पी0डब्लू0–1 द्वारा अभियुक्त राकेश उपाध्याय को चैकिंग के समय मौके पर न होने का भी कथन किया गया है। अभियोजन द्वारा इस मुकदमें से सम्बन्धित कोई जी0डी तथा विद्युत चोरी से सम्बन्धित चैकिंग रिपोर्ट, एसैस्मेन्ट, फर्द आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जो कि विद्युत चोरी से सम्बन्धित आवश्यक/महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं। अभियोजन द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित होता हो। उपरोक्त सभी तथ्यों से घटना साबित नहीं होती है और न ही साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व 2 के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध साबित होता है।

19– प्रस्तुत अभियोग में अभियोजन अभियुक्त राकेश उपाध्याय पुत्र भोपाल, निवासी–जनकपुरी, थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्त राकेश उपाध्याय उक्त वाद सं0–172/2007, मु0अ0सं0–475/2007, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राकेश उपाध्याय पुत्र भोपाल, निवासी–जनकपुरी, थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध आरोप को अभियोजन साबित नहीं कर सका है तथा इन

परिस्थितियों में अभियुक्त राकेश उपाध्याय उक्त वाद सं0–172 / 2007, मु0अ0सं0–475 / 2007, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफफ्फरनगर में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत मु0 25,000 / रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें अन्दर सप्ताह दाखिल करें। कथित जमानतनामें अग्रिम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क कुमार सिंह)
I.D. UP 2676
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4 /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 24–03–2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(कनिष्क कुमार सिंह)
I.D. UP 2676
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4 /
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 24–03–2026